पक्षकारों एवं अधिवक्ता आदि के हस्ताक्षर

(1)

राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

न्यायालय, श्री मान् [redacted] महोदय, [redacted],
रीवा [म०प्र०]

R-4181-III/13

इन्द्रवती पुत्री स्व० श्री रामगरीब ब्रा०, सा० विलौही,
थाना- शाहपुर, तह०-हनुमना, जिला
रीवा (म०प्र०) ---(आवेदिका)

बनाम

1. श्री आलोक कुमार S/o स्व० श्री रघुवंश कुमार
2. उर्मी शर्मा पति स्व० श्री रघुवंश प्रसाद
3. ज्योति पुत्री स्व० श्री रघुवंश प्रसाद
4. ब्रजबिहारी S/o स्व० रामगरीब
5. सत्यवती W/o स्व० रामगरीब

समस्त जाति ब्रा०, निवासी ग्राम- विलौही, थाना- शाहपुर, तह०- हनुमना, जिला- रीवा (म०प्र०)

[अना०]

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं० 1959

निगरानी (पुनरीक्षण) आवेदन पत्र विरुद्ध आदेश नायब-तहसीलदार- सर्किल- पहाड़ी- तह०- हनुमना, जिला-रीवा (म०प्र०) के आदेश दिनांक 14-8-13 प्र०क्र० 4A-6/12-13

मान्यवर,

सादिर तथ्य

यह कि अना० क्रमांक एक द्वारा रामगरीब द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर नामांतरण आवेदन पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया, निष्पादित वसीयत में आवेदिका को निजलवे स्वत्व की भूमियों का राजस्व रिकार्ड में हेरा-फेरी कराकर प्रविष्ट करा लिया, उन सर्वे नम्बरों का जिक्र निष्पादित वसीयत में है, बाद जानकारी आवेदिका विचारण न्यायालय में पक्षकार बनाये का आवेदन प्रस्तुत की, विचारण न्यायालय हितधारी पक्षकार समीचीन न कर, आपत्ति कर्ता की हैसियत से अपना पक्ष समर्थन कर सकती है, आलोच्य आदेश 14/8/13 से परिवेदित होकर पुनरीक्षण आवेदन पत्र मान० न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है।

-Contd on page-2-

(206)

बराजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–4181-III / 13** जिला–.रीवा

इन्द्रवती / आलोक कुमार वगैरः

(1)	(2)	(3)
19.12.18.	1. आवेदक की ओर से श्री शशी पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार, सर्किल पहाड़ी, तहसील हनुमना, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 04 / अ–6 / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 14.08.13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 15.03.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य **R–5464-II / 16**	